(वाद सं0–901/4/5/2020)

27.07.2021

परिवादी, शंभुनाथ श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता, बांका उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के दिनांक–31.08.2019 को सेवा निवृत होने के उपरांत बकाया वेतनादि एवं सेवांत लाभ का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, बांका द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को सेवा काल के बकाया व सभी सेवांत लाभों का भुगतान किया जा चुका है। प्रतिवेदनानुसार परिवादी का किसी भी प्रकार का अब कोई बकाया शेष नहीं है।

परिवादी का कथन है कि अभी तक उसे जुलाई 2012 से जुलाई 2019 तक के अंतर राशि का भुगतान, जिला कृषि पदाधिकारी, बांका द्वारा नहीं किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त उसे सेवा काल का सभी बकाया वेतन व सेवांत लाभों का भुगतान किया जा चुका है।

अब, जबकि परिवादी को सभी सेवांत लाभों का भुगतान संबंधी प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त करते हुए **परिवादी के जुलाई 2012 से जुलाई 2019 तक के अंतर राशि के भुगतान के दावे से संबंधित आवेदन को सूचनार्थ एवं विधिनुसार कार्रवाई हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, बांका को प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध किया जाता है कि आदेश पारित होने के आठ सप्ताह अन्दर परिवादी के उपरोक्त** कथित अंतर राशि के भुगतान से सम्बन्धित दावे के संबंध में कार्रवाई कर उसे तद्नुसार सूचित कर देगें।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया दे।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>